सप्तम अध्याय का प्रतिपाद्य-विषय

(प्रथम अध्याय में महर्षियों ने मनु से धर्म के विषय में पूछा। मनु ने उन्हें जगत् की उत्पत्ति के विषय में बतलाकर आचार का प्राधान्य बताया। द्वितीय अध्याय में धर्म के श्रुतिसम्मत तथा स्मृतिसम्मत लक्षण बताए। तृतीय अध्याय में ब्रह्मचर्य की अवधि तथा कर्त्तव्य उक्त हैं। चतुर्थ अध्याय में ब्रह्मचर्य एवं गृहस्थ काल के धर्म तथा आचरण का निर्देश है। पंचम अध्याय में मनु के पुत्र भृगु ने (मनु० 5.3) 'ब्राह्मणों को मृत्यु कैसे प्राप्त होती है ?' इस प्रश्न के उत्तर में भक्ष्य तथा अभक्ष्य पदार्थों के सेवन तथा वर्जन के विषय में बताया है। सामान्य शुद्धि आदि के कथन के उपरान्त स्त्रियों के धर्मों का परिगणन किया है। छठे अध्याय में वानप्रस्थ आश्रम के धर्म, कन्दों तथा फलों के ग्रहण एवं त्याग करने की विधि कही है। इसी प्रकरण में चारों आश्रमों, उनके फल, गृहस्थ की श्रेष्ठता एवं दशविध धर्म के सेवन का कथन है।)

सप्तम अध्याय में राजा के आचार, उत्पत्ति तथा राजा की परम सफलता (ऐहिक अथवा पारलौकिक) की परिचर्चा की है। शास्त्र विधि से उपनयन संस्कार से युक्त क्षत्रिय अभिषिक्त राजा सम्पूर्ण चराचर की रक्षा करे। बिना राजा के सर्वत्र अराजकता फैलती है। भगवान् ने इन्द्र, वायु यम आदि देवों की सारभूत शाश्वत मात्राओं को लेकर राजा की सृष्टि की। अतः राजा तेजस्वी होता है। बालक राजा का भी अपमान न करें। यह राजा के रूप में महान् देवता होता है। राजा अपने प्रयोजन के अनुसार कार्य और शक्ति का विचार कर अपनी धर्म (कार्य) सिद्धि के लिए अनेक रूप धारण करता है। राजा से अज्ञानवश द्वेष करने वाला निःसन्देह शीघ्र ही सान्वय नष्ट होता है।

इस राजा की कार्य सिद्धि के लिए भगवान् ने ब्रह्म तेजोमय दण्ड की सृष्टि की। राजा देश, काल, दण्ड के प्रभाव, दण्ड के ज्ञान आदि का विचार कर अन्यायवर्ती व्यक्तियों में शास्त्रानुसार दण्ड को प्रयुक्त करे। वह दण्ड ही चारों आश्रमों के धर्म का प्रतिभू (जमानत) है। यथावत् विचार

करके दिया गया दण्ड सब प्रजाओं को अनुरक्त करता है तथा विचार न करके लोभवश अथवा प्रमादवश दिया गया दण्ड सब प्रकार से (धन तथा जन का) विनाश करता है। यह समस्त लोक दण्ड से नियमित होकर सन्मार्ग पर अवस्थित है। दण्ड के अनुचित प्रयोग से सब वर्ण दूषित हो जाते हैं। अभिषेक आदि गुणों से राजा सत्यवादी, धर्मानुकूल आचरण करने वाला तथा बुद्धिपूर्वक दण्ड को प्रयोग करने वाला होता है। न्यायानुसार दण्ड का अभिप्राय है कि राजा शत्रुओं के देश में कठोर दण्ड का प्रयोग करता है अर्थात् स्वाभाविक मित्रों के साथ सरल व्यवहार करता है। अल्प अपराध करने वाले ब्राह्मणों के प्रति क्षमा को धारण करता है। न्यायपूर्वक दण्ड का प्रयोग करने वाले, शिलोञ्छ वृत्ति से जीविका करने वाले अर्थात् क्षीण कोश वाले राजा का यश जल में तेल की बूंद के समान संसार में फैलता है। अजितेन्द्रिय राजा का यश जल में घी की बूंद के समान संक्षिप्त होता है।

प्रजा की रक्षा करता हुआ राजा विनयाचरण को वेदज्ञ वृद्ध ब्राह्मणों से सीखे; उनके शासन में रहे, उनकी सेवा करे। अविनीत राजा हस्ती, अश्व आदि साधनों सहित विनष्ट हो गए। (राजा) तीन वेदों के ज्ञाता से त्रयी विद्या, दण्डनीति, आन्वीक्षिकी (तर्कविद्या) को सीखे तथा लोक-व्यवहार से वार्ता (कृषि, वाणिज्य तथा पशुपालन आदि) को सीखे। वह जितेन्द्रिय रहे तथा कामजन्य दस तथा क्रोधजन्य आठ व्यसनों से दूर रहे (7.47-48)।

राजा राज्य के कार्य में सहायता के लिए वंश-परम्परा से आए हुए, शास्त्रवेत्ता, शूरवीर, ठीक लक्ष्य पर वार करने वाले, देवता आदि का स्पर्श करके शपथ लेने वाले सात-आठ अमात्यों को नियुक्त करे। उन अमात्यों में से विद्वान् धर्म आदि से विशिष्ट ब्राह्मण के साथ षड्गुण (सन्धि, विग्रह, यान, आसन, आश्रय, द्वैधीभाव) से युक्त मंत्र का चिन्तन करे। अन्य अमात्यों को उनकी योग्यता तथा साहस के अनुरूप कार्यों में नियुक्त करे।

राजकार्य को जानने के लिए राजा सब शास्त्रों के ज्ञाता, इङ्गित, आकार और चेष्टा आदि को जानने वाले, शुद्ध आचरण वाले, दक्ष एवं कुलीन दूत को नियुक्त करे। सेनापति के अधीन दण्ड, दण्ड के अधीन विनय-क्रियाएँ, राजा के अधीन कोश और राष्ट्र होता है, दूत के अधीन सन्धि और विग्रह होते हैं। दूत ही मिले हुए राजाओं में विघटन पैदा करता है तथा विघटित राजाओं को मिला देता है। दूत के माध्यम से शत्रु राजाओं के

अभीष्ट कार्य को जानकर अपने-आपको पीड़ित न करे। आकुलता रहित, रमणीय, धर्मात्मा तथा विनम्र लोगों से युक्त देश में वास करे। धनुर्दुर्ग, महीदुर्ग, जलदुर्ग, वृक्षदुर्ग, नृदुर्ग अथवा गिरिदुर्ग का आश्रय लेकर अपनी राजधानी में वास करे। गिरिदुर्ग सब दुर्गों में से अधिक गुणयुक्त है अतः राजा इसके अन्दर निर्मित शुभ्र गृह में वास करे। दुर्गाश्रित राजा का शत्रु हनन नहीं कर सकते।

राजगृह में वास कर शुभ लक्षणों वाली स्वजातीया कुलीना, रूप एवं गुणों से युक्त भार्या के साथ विवाह करे। पुरोहित एवम ऋत्विक् का चयन करे। वह राजा के शान्तिकर्म और यज्ञकर्म को करते हैं। राजा बहुत दक्षिणा वाले यज्ञों को करे। सेना, कोश, दूतकार्य आदि में अनेक प्रकार के अध्यक्षों को नियुक्त करे। देश तथा काल के अनुरूप सत्पात्रों को द्रव्य देता हुआ राजा धर्म से युक्त होता है। प्रजाओं का पालन करते हुए, सम, उत्तम अथवा अधम शत्रु द्वारा ललकारा गया राजा, क्षत्रिय-धर्म को स्मरण करते हुए युद्ध करे। युद्धों में परस्पर युद्ध करता हुआ राजा धर्म-युद्ध करे। रथ, हस्ती छत्र, धान्य, पशु आदि सब द्रव्यों को जीतकर लाने वाला योद्धा उद्धार (उत्कृष्ट सोना आदि धन) राजा को दे। राजा भी उन योद्धाओं द्वारा सामूहिक रूप से जीते गए द्रव्यों को उन्हीं में यथायोग्य बांट दे।

राजा अप्राप्त भूमि आदि को पाने की इच्छा करे, प्राप्त की यत्न-पूर्वक रक्षा करे, रक्षा किए गए को बढ़ाये तथा बढ़े हुए धन को सत्पात्रों में बांट दे सर्वदा उद्यत-दण्ड वाले राजा से समस्त संसार डरता है। अतः राजा सबको दण्ड के द्वारा ही वश में करे। मन्त्रियों के साथ कपटपूर्ण व्यवहार न करे परन्तु शत्रु के कपट को सर्वथा सावधान होकर जाने। यदि विजय करते हुए उस राजा के बाधक शत्रु राजा साम, दान, भेद से वश में न आयें, तब दण्ड से बलपूर्वक उन्हें वश में करे।

राज्य की रक्षा के लिए राजा कम से कम संख्या के ग्रामों में अधिष्ठित अध्यक्षों को नियुक्त करे। उनमें ऊपर दस ग्राम के पतियों, बीस ग्राम के पतियों, सौ ग्रामों के पतियों तथा हजार ग्राम के पतियों को नियुक्त करे। उन अध्यक्षों को यथायोग्य जीविका के लिए वेतन रूप में ग्राम का राजस्व ग्रहण करने दे। ग्राम सम्बन्धी कार्यों के निरीक्षण के लिए तथा उन अध्यक्षों के कार्य-व्यापार को देखने के लिए उन पर (राजा का) हित चाहने

वाला मंत्री नियुक्त करे। जो पाप-बुद्धि अधिकारी कार्य होने पर अनुचित रूप से उत्कोच लें, राजा उनका सर्वस्व हरण कर ले।

राजा काम में नियुक्त दास-दासियों को उनके कार्य के अनुरूप प्रतिदिन वेतन दे। क्रय, विक्रय, मार्ग, भोजन, मार्ग में चोर आदि रक्षा के व्यय को देखकर व्यापारियों से कर लेवे। राजा प्रजा से थोड़ा-थोड़ा वार्षिक कर लेवे। राजा को पशु, सुवर्ण आदि का पचासवां भाग, धान्य का छठा, आठवां अथवा बारहवां भाग कर रूप में ग्रहण करना चाहिए। अति निर्धन मा राजा वेदपाठी ब्राह्मण से कर न ले अपितु उसकी जीविका का प्रबन्ध करे। सामान्यतम वस्तुओं का व्यवहार करने वाले साधारण लोगों से कुछ वार्षिक कर ग्रहण करे। राजा स्नेह आदि के कारण ग्रहण न करके अपनी जड़ को तथा अत्यधिक लोभ के कारण अधिक कर लगाकर प्रजा को पीड़ित न करे।

स्वयं कार्य की अधिकता के कारण थका हुआ राजा धर्मज्ञ, विद्वान् एवं कुलीन प्रधान मंत्री को प्रजाओं के कार्य को देखने के लिए नियुक्त करे।

राजा राज्य की चोरों आदि से रक्षा करे। प्रजाओं की शिकायतें सुने। गुह्यतम स्थान में अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करे। राजा अपनी कन्याओं के दान, पुत्रों की शिक्षा आदि का चिन्तन करे। गुप्तचरों की चेष्टाओं का निरीक्षण करे। विजिगीषु राजा राजमण्डल के प्रचार अर्थात् सन्धि अथवा विग्रह की इच्छा वाले राष्ट्रों की चेष्टाओं को यत्नपूर्वक जाने। तदनन्तर शत्रु राजाओं के मित्र तथा शत्रु राष्ट्रों के व्यवहार को जाने। राजा सम्यक् प्रकार से षड्गुणों का प्रयोग करे। राजा सब उपायों (साम, दान, दण्ड और भेद) से ऐसा व्यवहार करे कि उसके अधिक शत्रु, मित्र और उदासीन न हों। राजा भविष्य, वर्तमान और अतीत काल के गुण दोषों का चिन्तन करे। उपयुक्त काल में नीतिपूर्वक विचार कर शत्रु राष्ट्रों पर आक्रमण करे। आक्रमण काल में मार्ग में भय रहने पर दण्डव्यूह, मकरव्यूह, सूचीव्यूह आदि से युद्ध करे। रणभूमि में साहसी एवं समर्थ योद्धाओं को आगे करके रथ आदि का समभूमि आदि पर उपयोग करे। स्वयं दुर्ग में अथवा दुर्ग के बाहर रहकर शत्रु के चारों ओर घेरा डाले रखे तथा शत्रु के उपजीव्य तड़ाग, नहर आदि को नष्ट करे। धान्य, जल, ईन्धन आदि को दूषित द्रव्य मिलाकर उपभोग के अयोग्य बना दे। युद्ध में विजय की अनित्यता होती है अतः सर्वथा साम, दान एवं भेद तीनों उपायों के असम्भव होने पर इस प्रकार से युद्ध करे कि शत्रु को जीत सके।

विजय प्राप्त करके देवताओं और ब्राह्मणों को देय अंश देकर शत्रु राष्ट्र में मन्त्री आदि मुख्य लोगों के साथ नवाभिषिक्त राजा का रत्नों आदि की भेंट देकर पूजन करे। विजित लोगों के धार्मिक कार्यों को प्रमाणित करे तथा अभयदान की घोषणा कर दे। विजिगीषु राजा पिछले भाग में अवस्थित सेना तथा आक्रमण करने वाली सेना का ध्यान करके यात्रा करे। मित्र तथा अमित्र राजाओं से यात्राफल को अवश्य ले। स्थायी मित्र आदि की प्राप्ति करे।

राजा उपेता (अपने), उपेय (शत्रु) तथा (साम आदि सब) उपायों का आश्रय लेकर प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रयत्न करे। राजा अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर सुपरीक्षित भोजन, आसन, मनोरञ्जन आदि का सेवन करे। स्वस्थ होने पर समस्त कार्यों को तथा अस्वस्थ होने पर राज-कार्य को योग्य श्रेष्ठ मन्त्रियों को सौंप दे।